
NHRC Seeks Report on Child Torture in UP

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo motu cognisance of a media report that a 5-year-old boy studying in a private school was subjected to torture and inhuman treatment by his teacher in Varanasi district, Uttar Pradesh. The commission issued notices to the UP Chief Secretary and Varanasi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the victim boy.

UP Cong chief urges NHRC to order independent probe into cases against journalists

STATESMAN NEWS SERVICE

Lucknow, 31 July

Uttar Pradesh Congress Committee President Ajay Rai has written to the Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC), demanding an independent and impartial investigation into criminal cases filed against journalists, digital media workers, and freelance reporters in Uttar Pradesh. He also sought the Commission's intervention in the matter. In his letter, Rai stated that freedom of expression and independent journalism, guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution, are the cornerstones of a democratic

system. He said that if journalists are unable to report fearlessly on issues of public interest, it would adversely affect democratic accountability and citizens' rights. Rai alleged that, over the past few years, numerous criminal cases have been registered and police action taken against journalists, digital media workers.

NHRC TAKES COGNISANCE OF DEATH OF 2 PERSONS

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo motu cognisance of a media report that on July 26, 2026, a sanitation worker and a security guard died after inhaling toxic gases inside a sewage treatment plant at a residential society in NOIDA, UP. The commission observed that the contents of the media report, if true, raise issues of violation of human rights.

NHRC Probes Fatal Assam Factory Explosion

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo motu cognisance of a media report that on July 26, 2026, four workers died and two others were severely injured in an explosion at a metal processing factory in Cachar district, Assam. Reportedly, molten metal spilled over the workers after the explosion. The commission observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मलेरिया से पांच मौतों पर सरकार से मांगा जवाब



स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठक में मौजूद। • जनसंपर्क

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कांकेर जिले में 13 दिनों के भीतर मलेरिया से पांच लोगों की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनएचआरसी के अनुसार, 28 जुलाई को 11 वर्षीय एक बालक की मलेरिया से मौत के बाद यह मामला सामने आया।

बताया गया कि निजी लैब में उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने के बाद मलेरिया की पुष्टि हुई। हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट में वर्णित

कांकेर में मलेरिया पर हाई अलर्ट

नईदुनिया न्यूज, कांकेर : जिले में पिछले 15 दिनों में मलेरिया से पांच लोगों की मौत और 672 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शुक्रवार को कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रभावित गांवों में विशेष निगरानी, बुखार के हर मरीज की तत्काल जांच और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हाल ही में कांकेर के अलबेलापारा निवासी पांचवीं कक्षा के छात्र चिरंजीव उईके (11) की मलेरिया से मौत हो गई। उसे 28 जुलाई को बुखार और उल्टी की शिकायत हुई थी। जांच में

मलेरिया की पुष्टि हुई, लेकिन रायपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चार लोगों की जान जा चुकी है। कलेक्टर ने सभी आश्रमों और छात्रावासों में विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा डायरिया, टायफाइड और पीलिया के लक्षण मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डा. आरसी टाकुर ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव और डेंगू, जेई व फाइलेरिया की नियमित निगरानी की जा रही है।

तथ्य सही हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। घटना के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में

घर-घर जाकर मलेरिया जांच और जनजागरूकता अभियान शुरू किया है।

जल कर पर
मानवाधिकार आयोग
में शिकायत दर्ज
अलीगढ़। उत्तर प्रदेश
उद्योग व्यापार
प्रतिनिधि मंडल ने
नगर निगम के जल
कर के खिलाफ
राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग में शिकायत
दर्ज कराई है।
व्यापारियों का आरोप
है कि निगम के
मनमाने कर से लाखों
नागरिक परेशान हैं।
प्रतिनिधिमंडल के
प्रांतीय महासचिव सतीश
माहेश्वरी ने कहा,
नगर निगम अधिकारी
तानाशाही रवैया अपना
रहे हैं। व्यापारियों ने
बताया कि निगम के
पास पानी के
कनेक्शनों का कोई
रिकॉर्ड नहीं है। इस
कमी के कारण
नागरिकों को अपनी
आपत्तियां दर्ज कराने
के लिए घंटों इंतजार
करना पड़ता है।
मंडल ने आरोप
लगाया कि 200 मीटर
के दायरे में पानी का
स्रोत नहीं है। इसके
बावजूद जल कर
लगाया गया है।
जून में बिल जमा
करने के बाद भी
निगम ने लाखों बिल
संशोधित कर दिए।
इससे नागरिकों को
दोबारा आपत्ति लगानी
पड़ी। संवाद

जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनएचआरसी सख्त

मथुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जवाहर नवोदय विद्यालय, मथुरा में लंबे समय से जलभराव की शिकायत को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज की गई है। जिसमें कहा गया है कि विद्यालय परिसर में लगातार जलभराव होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इससे उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मामले का परीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए आयोग ने विस्तृत जांच के लिए प्रकरण जिलाधिकारी, मथुरा को भेजते हुए दो सप्ताह की निर्धारित अवधि में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आयोग आगे आवश्यक कार्रवाई करेगा।

Source: <https://newsonair.gov.in/hi/national-human-rights-commission-issues-notice-to-chhattisgarh-government-over-five-malaria-deaths-in-kanker/>

होम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कांकेर में मलेरिया से पांच मौतों पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कांकेर में मलेरिया से पांच मौतों पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया
News On AIR | जुलाई 31, 2026 9:02 अपराह्न | malaria deaths in Kanker

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कांकेर ज़िले में 13 दिनों के भीतर मलेरिया से पांच लोगों की मौत की खबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने इस मामले पर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि अगर समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है।

Source: <https://www.siasat.com/nhrc-registers-private-case-over-fcra-bill-2026-3516863/>

NHRC registers private case over FCRA Bill 2026

NHRC moves to examine FCRA Bill 2026 concerns.

News Desk | Published: 31st July 2026 7:52 pm IST

A private pro bono case has been initiated by Hyderabad-based advocate Yennam Balachander Reddy before the National Human Rights Commission (NHRC), raising concerns over the alleged human rights and constitutional implications of certain provisions of the proposed Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2026. The matter has been registered with Case Number: 792/90/0/2026 by NHRC on July 27, 2026.

The proceedings highlight concerns regarding the balance between regulation of foreign contributions and the protection of constitutional freedoms, institutional autonomy, and the lawful functioning of minority and charitable organisations.

The petitioner has submitted that any legislative framework that disproportionately affects religious minorities or interferes with the independent functioning of institutions requires careful examination in the light of constitutional principles.

According to the pleadings made before the NHRC, the proposed Bill seeks to introduce changes to the foreign contribution regulatory framework by granting extensive powers to the Central Government. Concerns have been raised that such powers, if not supported by clear guidelines, procedural safeguards, and independent oversight, may lead to uncertainty and possible misuse.

The petitioner has specifically highlighted provisions relating to the denial of FCRA registration or renewal on undefined grounds, possible government intervention in the affairs and assets of organisations after cancellation or other administrative actions, and the need for an effective and independent appellate mechanism.

The proceedings contend that any authority to assume control over private or institutional assets must strictly follow due process of law. It has been submitted that absence of adequate safeguards and independent review mechanisms may affect the ability of organisations to seek effective remedies against administrative decisions.

The petitioner has further stated that while regulation of foreign contributions is necessary for transparency, accountability, and national interest, such regulatory measures must not undermine constitutional guarantees or restrict legitimate activities of organisations engaged in public service.

Impact on Christian charitable, minority institutions

Christian charitable institutions in India have historically contributed to society through education, healthcare, orphan care, elderly care, tribal welfare, rural development, disability support, and humanitarian relief programmes.

Many such institutions undertake social service activities through legally regulated funding mechanisms, including foreign contributions received in accordance with applicable laws. Their services often benefit vulnerable communities across religious and social backgrounds.

The petitioner has submitted that uncertainty in regulatory procedures may affect institutions that rely on foreign contributions for charitable activities and public welfare initiatives.

The proceedings refer to constitutional protections under Articles 14, 19(1)(c), 21, and Articles 25 to 30 of the Constitution of India, along with principles of natural justice, while seeking greater safeguards for minority institutions and civil society organisations.

The NHRC has been requested to examine the human rights implications of the proposed legislation and consider seeking reports from relevant government authorities, including the Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, Ministry of Minority Affairs, and Department of Legal Affairs.

The petitioner has also sought recommendations for clearer guidelines, limitations on excessive discretionary powers, protection against arbitrary interference with institutional assets, and establishment of a robust, independent, and time-bound appellate mechanism.

The issues raised in the proceedings involve broader questions concerning the relationship between regulatory authority and constitutional freedoms. The final outcome will depend upon the examination by competent authorities and any further legal proceedings that may follow.

Potential impact of case outcome on Christian Charitable activities in India

The outcome of this case may have wider implications for Christian charitable activities across India, particularly for institutions engaged in education, healthcare, social welfare, and humanitarian services. If the issues raised in the proceedings result in clearer regulatory guidelines, stronger procedural safeguards, and effective mechanisms for review of administrative decisions, it could provide greater legal certainty and institutional confidence to Christian charitable organisations operating within the constitutional framework.

Such safeguards may help ensure that schools, hospitals, orphan care centres, elderly care facilities, rural development programmes, tribal welfare initiatives, and other humanitarian projects continue their services without unnecessary disruption, while maintaining transparency and accountability under the law. A balanced legal framework can also strengthen the ability of Christian institutions to continue serving vulnerable communities across India, irrespective of religion, caste, or social background.

At the same time, the case highlights the importance of ensuring that regulatory oversight of foreign contributions remains consistent with constitutional values, due process, and the principles of fairness, so that legitimate charitable activities are protected while accountability requirements are effectively implemented. The case is pending for adjudication.

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/rai-seeks-nhrc-probe-into-cases-against-up-journos/articleshow/132749447.cms>

Rai seeks NHRC probe into cases against UP journos

TNN | Jul 31, 2026, 12.34 AM IST

Lucknow: Uttar Pradesh Congress president Ajay Rai on Thursday wrote a letter to National Human Rights Commission (NHRC) chairperson seeking an independent inquiry into criminal cases and police action against journalists, digital media workers and freelance reporters in the state.

In his letter, Rai said freedom of expression and independent journalism were fundamental to democracy and criminal action against journalists could affect public accountability.

Rai cited the FIR registered against senior journalist Abhishek Upadhyay at Hazratganj police station on June 27, besides referring to earlier cases involving Upadhyay, journalist Mamta Tripathi and journalists associated with The Wire.

He also referred to cases registered against Alt News co-founder Mohammed Zubair and late journalist Vinod Dua.

Rai said the Editors Guild of India and Committee to Protect Journalists had also expressed concerns over legal action against journalists.

He urged the NHRC to examine cases against journalists, digital media workers and independent reporters in UP from 2020 onwards and seek a consolidated report from state govt and police chief.

He also sought consultations with journalist bodies and civil society groups before issuing recommendations to safeguard journalists' constitutional rights.

Source: <https://thesouthfirst.com/tehangana/nhrc-directs-centre-to-act-on-illegal-mining-complaint-against-firm-linked-to-tehangana-minister-ponguleti/>

The South First » Telangana

NHRC directs Centre to act on illegal mining complaint against firm linked to Telangana Minister Ponguleti

The complaint alleges that Raghava Constructions India Private Limited has been carry carrying out round-the-clock excavation and transportation of stone and concrete material in the Manasa Hills area.

Sreshta Ladegaam

Published Jul 31, 2026 | 9:30 PM — Updated Jul 31, 2026 | 9:30 PM

Synopsis: The NHRC has directed the Union Ministry of Mines to act on a complaint alleging illegal mining near Hyderabad's Manasa Hills by Raghava Constructions India Pvt. Ltd., a company associated with Telangana Minister Ponguleti Srinivasa Reddy's family, and submit an action taken report within eight weeks. The complaint alleges that the company carried out mining without statutory clearances and accuses state government departments of failing to act despite the alleged violations.

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Union Ministry of Mines to take appropriate action on a complaint alleging illegal mining near Hyderabad's Manasa Hills by Raghava Constructions India Private Limited (RCIPL), a company associated with Telangana Revenue, Housing and Information & Public Relations Minister Ponguleti Srinivasa Reddy's family.

In its 30 July direction, the Commission instructed the Ministry to involve affected residents of Rajendranagar in the process and submit an action taken report within eight weeks.

The complaint, filed on 4 March 2026 on behalf of Rajendranagar residents, alleges that RCIPL has been carrying out round-the-clock excavation and transportation of stone and concrete material in the Manasa Hills area near the Outer Ring Road in Rajendranagar, Ranga Reddy district, without statutory clearances. The company is headed by the Minister's brother, Prasad Reddy, and son, Harsha Reddy.

According to the complaint, the company did not possess consent from the Telangana State Pollution Control Board, environmental clearance, a mining or quarrying lease from the State Department of Mines and Geology, an explosives licence, or other mandatory approvals from local civic bodies and government departments.

Allegations of official inaction

The complainant alleged that several government departments had failed to act despite visible violations and questioned whether rules were being applied unequally to politically connected operators.

The complaint sought directions to Shri Ujjwal Tah, Chief Inspector of Mines and Director General of Mines Safety, to halt the alleged illegal mining and initiate proceedings under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended in 2015.

Allegations of illegal mining against Raghava Constructions were first raised earlier this year by senior Bharat Rashtra Samithi (BRS) leaders, including former Minister T Harish Rao, who demanded a House Committee inquiry.

The company had denied the allegations, stating that the mining activity had been wrongly attributed to it because a crusher leased by it to Sree Tirumala Metals was being used at the quarry.

In May 2026, the Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency (HYDRAA) conducted raids on multiple illegal mining sites and quarries across the city and seized machinery. Equipment belonging to Sree Tirumala Metals was among those seized.

Separate land and corruption allegations

Apart from the mining allegations, Raghava Constructions has also faced allegations relating to land encroachment and corruption.

The company's stake in Raghava Sewerage Project Pvt. Ltd., a joint venture established to construct 22 sewage treatment plants within the Hyderabad Outer Ring Road limits, was increased to 51 percent after receiving State government approval. The decision drew allegations of corruption and abuse of power.

In 2025, residents of Raviryal village in Rangareddy district filed a writ petition in the Telangana High Court alleging that the Telangana State Industrial Infrastructure Corporation (TGIIC), through Raghava Constructions, had undertaken illegal development on their land. The High Court passed an interim order restraining the move to dispossess the landowners and described the action as "high-handed, mala fide, illegal, and arbitrary."

(Edited by Dese Gowda)

Source: <https://arunachal24.in/nhrc-reviews-child-protection-mechanisms-in-tawang-district/>

NHRC Reviews Child Protection Mechanisms in Tawang District

During his visit to Tawang, NHRC Member Priyank Kanoongo reviewed welfare schemes, child protection mechanisms, and advocated mother tongue-based early childhood education.

Last Updated: 31/07/2026

TAWANG,- National Human Rights Commission (NHRC) Member Priyank Kanoongo on Friday interacted with Heads of Offices of Tawang district and reviewed the implementation of government welfare programmes, human rights initiatives, and child protection mechanisms during his official visit to the district.

The meeting was held at the Conference Hall of the Deputy Commissioner's Office, where Deputy Commissioner Namgyal Angmo, welcomed the NHRC Member and presented an overview of Tawang district, covering its geographical profile, demographic characteristics, administrative structure, and ongoing developmental initiatives. Various departments also delivered presentations on the implementation of key welfare schemes and public service delivery.

During the interactive session, Kanoongo held detailed discussions with Heads of Departments on the effective implementation of government welfare programmes, with particular emphasis on protecting and promoting human rights and child rights.

He reviewed the functioning of the Child Helpline, implementation of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, the role of the Child Welfare Committee, and the status of various child protection and welfare schemes in the district.

Emphasising the importance of ensuring that welfare benefits reach the intended beneficiaries, the NHRC Member called for stronger coordination among departments. He also urged officials to adopt a more sensitive and responsive approach while addressing issues affecting vulnerable sections of society, particularly children.

Highlighting the role of language in a child's development, Kanoongo advocated for mother tongue-based education in Early Childhood Care and Education (ECCE). He said that learning in one's native language strengthens cognitive development, preserves cultural identity, and builds a strong foundation for lifelong learning.

The interaction also provided an opportunity for departmental heads to share best practices, discuss local challenges, and exchange suggestions for strengthening institutional mechanisms aimed at safeguarding human rights and promoting child-friendly governance.

During his visit, Kanoongo is also scheduled to attend the Two-Day Regional Convention on Child Rights, organised by the Arunachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights (APSCPCR) in Tawang. The convention has brought together Chairpersons and Members of State Commissions for Protection of Child Rights

from across the Northeast to deliberate on regional cooperation for strengthening child rights protection.

The district administration stated that the visit reaffirmed the commitment of the NHRC and the district administration towards effective implementation of welfare programmes, strengthening child protection systems, and upholding the constitutional values of justice, equality, dignity, and human rights.

Source: <https://www.livehindustan.com/national/story-nhrc-takes-action-on-flooding-complaints-at-jawahar-navodaya-vidyalaya-mathura-201785524196223.html>

जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनएचआरसी सख्त

Aug 01, 2026 01:18 am IST

By Hindustan | Bureau हिन्दुस्तान , मथुरा

एनएचआरसी ने डीएम से मांगी दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनएचआरसी सख्त जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जवाहर नवोदय विद्यालय, मथुरा में लंबे समय से जलभराव की शिकायत को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज की गई है। जिसमें कहा गया है कि विद्यालय परिसर में लगातार जलभराव होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इससे उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

मामले का परीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए आयोग ने विस्तृत जांच के लिए प्रकरण जिलाधिकारी, मथुरा को भेजते हुए दो सप्ताह की निर्धारित अवधि में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आयोग आगे आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस संबंध में शिकायतकर्ता कृष्णा राजपूत ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

Source: <https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/kishanganj/nhrc-seeks-report-motibagh-dumping-yard-pollution>

मोतीबाग डंपिंग यार्ड प्रदूषण मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

Author Rahul kumar | Edited by पिंटू प्रणव

Updated: Fri, 31 Jul 2026 08:10 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने किशनगंज के मोतीबाग डंपिंग यार्ड से फैल रहे प्रदूषण और जनस्वास्थ्य पर इसके गंभीर असर को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है. आयोग ने चार सप्ताह के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. Kishanganj Dumping Yard Case: किशनगंज. मोतीबाग स्थित डंपिंग यार्ड से फैल रहे प्रदूषण और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. राष्ट्रीय आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद अंसार खान की शिकायत पर आयोग ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

मानवाधिकार उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला माना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-12 के तहत मामले का संज्ञान लिया. आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रतीत होते हैं. इसलिए मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है.

डंपिंग यार्ड में कचरा जलाने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किशनगंज नगर परिषद द्वारा मोतीबाग स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्र में लंबे समय से ठोस कचरे का अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है. डंपिंग यार्ड में बार-बार कचरा जलाने से जहरीला धुआं, दुर्गंध और गंभीर वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर का दावा

शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रदूषण के कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित स्थानीय लोगों में श्वास संबंधी बीमारियां, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. शिकायत में इसे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है.

पहले भी की गई थी शिकायत

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई प्रभावी और स्थायी कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया गया.

चार सप्ताह में मांगी गई रिपोर्ट

आयोग ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगा.

स्थानीय लोगों की बढ़ी उम्मीद

Kishanganj Dumping Yard Case: मोतीबाग डंपिंग यार्ड से उठने वाले धुएं और प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध जता रहे हैं. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद लोगों की उम्मीद है कि इस गंभीर पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग ठोस कदम उठाएंगे.

Source: <https://www.bhadas4media.com/ajay-rai-nhrc-up-journalist-case/>

उत्तर प्रदेश पत्रकारों पर बढ़ती कार्रवाई को लेकर NHRC पहुंचे अजय राय, स्वतंत्र जांच की मांग
Bybhadasdesk Published 4 hours ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक कार्रवाइयों पर चिंता जताई है। उन्होंने इन मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के साथ मानवाधिकार आयोग से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की है।

अजय राय ने अपने पत्र में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्तें हैं। अगर पत्रकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर बिना डर के रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका असर सिर्फ मीडिया पर ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी पड़ेगा। साथ ही आम नागरिकों को संविधान और कानून के तहत मिले अधिकारों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पत्रकारों पर मुकदमों को लेकर जताई चिंता

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाने तथा पुलिस कार्रवाई की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं।

उन्होंने हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ हजरतगंज थाने में 27 जून को दर्ज की गई एक और प्राथमिकी का जिक्र किया। अजय राय के मुताबिक, इस पत्रकार के खिलाफ इससे पहले भी वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ भी अलग-अलग मौकों पर मुकदमे दर्ज किए जाने के मामले सामने आए हैं।

अजय राय ने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई को लेकर समय-समय पर चिंता जाहिर करता रहा है। इसके अलावा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने भी भारत में पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं।

2020 से अब तक के मामलों की जांच की मांग

अजय राय ने मानवाधिकार आयोग से मांग की है कि वर्ष 2020 से अब तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए।

उन्होंने आयोग से उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक से इन मामलों का समेकित विवरण मंगाने की भी मांग की है। साथ ही यह जांच कराने की अपील की है कि क्या पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल की कोई ऐसी प्रवृत्ति विकसित हुई है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित हो रही है।

पत्रकार संगठनों से राय लेने की अपील

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठनों से विशेषज्ञ राय लेने की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस आधार पर उचित सिफारिशें जारी की जानी चाहिए, ताकि पत्रकारों की संवैधानिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार को प्रभावी तरीके से संरक्षित किया जा सके।

बड़ी खबर- यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी में पत्रकारों के खिलाफ लगातार दर्ज किए जा रहे मामलों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी।

अजय राय ने इस चिट्ठी के जरिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इन मामलों में स्वतंत्र जांच करने का आग्रह किया।

उन्होंने इस चिट्ठी में पत्रकारों के खिलाफ यूपी में दर्ज किए जा रहे मामलों का ब्योरा भी सामने रखा।

योगी आदित्यनाथ के राज में पत्रकारों पर मुकदमे कोई नई बात नहीं है।

अवनीश अवस्थी जब गृह विभाग के मुखिया थे, तब ये बेल परवान चढ़ी थी और संजय प्रसाद के दौर में तो यत्र तत्र सर्वत्र फैल चुकी है।

सबसे बुरा हाल तो जिला स्तर पर पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों का है।

प्रशासन के भ्रष्टाचार से लेकर लालफीताशाही तक कोई भी खबर दिखाने पर इनके खिलाफ थड़ाथड़ मुकदमे किए जा रहे हैं।

कितनों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है। कितनों को जिला बदर किया जा चुका है।

वहीं अगर आप पत्रकारिता के नाम पर सरकार की चाटुकारिता में कलम तोड़ दें, तो आपके बेटे की SUV से एक सिंधी समाज के व्यक्ति के कुचले जाने का मामला भी 'अज्ञात' में दर्ज किया जाएगा।

मैं जिस मामले की बात कर रहा हूँ उसे लखनऊ का हर पत्रकार जानता है।

मगर उम्मीद फिर भी कायम है।

उम्मीद इस बात की कि दिन रात अपने भाषणों में अकबर, बाबर और औरंगजेब से लोहा ले रहे, योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे

दमन के तमाम हथकंडों के बावजूद, पत्रकार अपने कर्म में डटे हुए हैं।

कुछ चिराग आंधियों के खिलाफ अड़े हुए हैं!

-अभिषेक उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

Source: <https://legendnews.in/single-post?s=waterlogging-in-jawahar-navodaya-vidyalaya-nhrc-asks-district-magistrate-for-report-within-two-weeks-45889>

Homeविविधजवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव पर NHRC सख्त, डीएम दें दो सप्ताह में रिपोर्ट

जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव पर NHRC सख्त, डीएम दें दो सप्ताह में रिपोर्ट
रिपोर्ट : LegendNews July 31st, 2026

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जवाहर नवोदय विद्यालय, मथुरा में लंबे समय से जलभराव की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी, मथुरा को मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय परिसर में लगातार जलभराव के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

मामले का परीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए आयोग ने विस्तृत जांच के लिए प्रकरण जिलाधिकारी, मथुरा को भेजते हुए निर्धारित अवधि में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

यह मामला NHRC के केस संख्या 19033/24/52/2025 के रूप में दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग आगे की आवश्यक कार्रवाई पर विचार करेगा।

इस संबंध में शिकायतकर्ता कृष्णा राजपूत ने कहा, "विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे आशा है कि संबंधित अधिकारी शीघ्र प्रभावी कदम उठाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो सके।"

- Legend News